



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 359 राँची, बुधवार,
15 ज्येष्ठ, 1946 (श०)
5 जून, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

31 मई, 2024

संख्या-5/आरोप-1-13/2023-25642 (HRMS)--श्री राकेश सहाय, झा०प्र०से० (चतुर्थ 'सीमित' बैच, कोटि क्रमांक-485/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरवाडीह, लातेहार के विरुद्ध उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक- 74/स्था०, दिनांक 02.02.2023 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित है-

(i) दिनांक 13.10.2022 को समीक्षात्मक बैठक में वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक के Rejected Transaction की समीक्षा की गयी, जिसमें पाया गया कि प्रखण्ड-बरवाडीह में कुल-396 Rejected Transaction, Re Generation हेतु लंबित है, जिसे शून्य करने का निदेश दिया गया था, परन्तु इनके द्वारा इसमें कोई रुचि नहीं लिया गया, जो दिनांक 07.12.2022 तक बढ़कर कुल 464 हो गया एवं कुल Rejected Transaction की मात्र 39% ही सफलतापूर्वक Regenerate किया गया है।

(ii) दिनांक 07.12.2022 को मनरेगा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं उसके पूर्व की 711 योजनाओं को लंबित रखा गया है। सभी योजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिये गये निदेश के बावजूद भी योजना पूर्ण करने हेतु प्रगति लाने में कोई रुचि नहीं ली गई।

(iii) मनरेगा अन्तर्गत श्रमिकों को कार्य के विरुद्ध 15 दिन के अंदर भुगतान करने का प्रावधान है, परन्तु इनके द्वारा दिनांक 07.12.2022 तक 09 श्रमिकों को विलम्ब से भुगतान किया गया है, जो कुल भुगतान 0.12 प्रतिशत है। यह कृत्य मनरेगा प्रावधान का उल्लंघन है।

(iv) मनरेगा अन्तर्गत श्रमिकों को 100 दिनों का कार्य उपलब्ध कराने का प्रावधान है, परन्तु इनके द्वारा दिनांक 07.12.2022 तक मात्र 33 परिवारों को ही 100 दिन का कार्य उपलब्ध कराया गया है, जो इनके कार्य के प्रति घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है।

(v) मनरेगा अन्तर्गत वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत बन रहे खेल मैदान में एक भी योजना पूर्ण नहीं कराया गया है।

(vi) अपने वरीय एवं नियंत्री पदाधिकारी द्वारा दिये गये निदेशों/ स्पष्टीकरण/ कारण पृच्छा का अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया गया है।

(vii) श्री सहाय के उक्त कृत्य से उनके कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी आचार नियमावली के नियम-3(1)(i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण है।

उक्त आरोपों पर श्री सहाय द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-24953, दिनांक 10.11.2023 द्वारा इनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री सहाय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष अपील आवेदन समर्पित किया गया, जो मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-2700971, दिनांक 20.02.2024 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री सहाय द्वारा अपील आवेदन में आरोपवार समर्पित तथ्य निम्नवत् हैं-

(i) चूँकि तकनीकी कारणों से मात्र 47 Rejected Transaction का Re Generation नहीं हो पा रहा था, जबकि 2013-14 से लेकर 2022 तक पोस्ट आफिस एवं अन्य खातों के पुराने Rejected Transaction का सफलतापूर्वक Re Generation किया गया। मगर इस तथ्य को समीक्षा के दौरान नजरअंदाज किया गया।

(ii) दिनांक 07.12.2022 तक 8564 पुरानी योजनायें बंद की गईं। मगर इस तथ्य को नजरअंदाज किया गया।

(iii) यह सर्वविदित तथ्य है कि Delay Payment में प्र०वि०पदा० की कोई भूमिका नहीं होती है, सिर्फ पर्यवेक्षण करना है। उनके तीन साल के कार्यकाल में मात्र एक योजना में Delay Payment हुआ, वह भी इनके कारण नहीं हुआ था। मगर इस तथ्य को नजरअंदाज किया गया।

(iv) यह योजना प्रारंभ में मनरेगा और 15वें वित्त की अभिश्रव की योजना थी, जिसके वजह से इस योजना के पूर्ण होने में विलम्ब हुआ। यह इनके लापरवाही के कारण नहीं हुआ था। मगर इस तथ्य को नजरअंदाज किया गया।

(v) यह आरोप कि ये स्पष्टीकरण या कारण पृच्छा का जवाब नहीं देते थे, बेबुनियाद आरोप था। ये पिछले 11 वर्षों से इस सेवा में कार्यरत हैं और इस तरह के आरोप कभी नहीं लगें। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा अपील आवेदन में समर्पित किया गया कि ये अपने कार्यों के प्रतिशत प्रतिशत ईमानदार रहे हैं और कार्यों को निष्ठापूर्वक अंजाम देते रहे हैं। मनरेगा में लगभग 40 से ज्यादा Index रहते हैं। मात्र कुछ में पीछे रहना लापरवाही का प्रमाण नहीं हो सकता।

श्री सहाय द्वारा समर्पित अपील आवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा समर्पित अपील आवेदन में उन्हीं तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है, जो उनके द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण एवं द्वितीय कारण पृच्छा में रखा गया था। उक्त समर्पित तथ्यों के समीक्षोपरांत ही उन्हें दण्ड अधिरोपित है। इनके द्वारा अपील आवेदन के साथ कोई ठोस साक्ष्य या तथ्य समर्पित नहीं किया गया है, जिससे आरोप का खंडन हो सके। साथ ही इनके द्वारा पूर्व के समर्पित स्पष्टीकरण में यह अंकित है कि हो सकता है कि कार्य के अधिकता के कारण किसी स्पष्टीकरण/कारण पृच्छा का जवाब ये नहीं दे पाये ।

अतः समीक्षोपरांत, श्री राकेश सहाय, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरवाडीह, लातेहार द्वारा समर्पित अपील आवेदन को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प सं0-24953, दिनांक 10.11.2023 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत अधिरोपित निन्दन के दण्ड को यथावत् रखा जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री राकेश सहाय, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAKESH SAHAY JHK/JAS/307	श्री राकेश सहाय, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरवाडीह, लातेहार द्वारा समर्पित अपील आवेदन को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प सं0-24953, दिनांक 10.11.2023 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत अधिरोपित निन्दन के दण्ड को यथावत् रखा जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
